e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019–पार्ट– I.....14019

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 16/10/2024

विषय :– बिहार राज्य में संचालित विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के अंतर्गत सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध कराने हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–13829 दिनांक– 24.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने संबंधी निदेश निदेशालय पत्र सं0–13826 दिनांक–24.09.2024 द्वारा निर्गत है, जिसमें अंचल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/जिला स्तरीय कार्यालयों से विभिन्न प्रकार की सरकारी भूमि यथा–गैरमजरूआ आम/मालिक/बन्दोबस्त की गयी भूमि/भू–हदबन्दी/भू–दान/भू–अर्जन इत्यादि से संबंधित भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

विदित हो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेख के निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर रैयतों द्वारा सरकारी/लोक भूमि पर स्वामित्व दावा किया जाता है एवं सरकारी विभागों की भूमि की विवरणी अप्राप्त रहने की स्थिति में अधिकार अभिलेख रैयतों के नाम पर निर्धारित होने की प्रबल संभावना है। सुलभ संकेतार्थ निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि पूर्व निर्गत निदेशों के अनुरूप सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बन्दोबस्त कार्यालय/संबंधित शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराने हेतु अपने जिला अंतर्गत सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी नामित करने की कृपा की जाए ताकि सरकारी भूमि को संरक्षित रखते हुए सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके।

साथ ही यह भी अनुरोध होगा कि कृपया संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी के साथ समय–समय पर बैठक आयोजित कर कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
17/10/24
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Sanjeev-2024\Birendra Sir\ACS\file no__95_2019_14.10.2024_1.doc

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019–पार्ट– I 14019 पटना, दिनांक 16/10/2024

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019–पार्ट– I 14019 पटना, दिनांक 16/10/2024

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019–पार्ट– I 14019 पटना, दिनांक: 16/10/2024

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019–पार्ट– I 14019 पटना, दिनांक: 16/10/2024

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019–पार्ट– I 14019 पटना, दिनांक: 16/10/2024

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(105

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019–पार्ट–I.....13829

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 24/09/2024

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत अंचल एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय तथा जिलास्तरीय कार्यालयों से सरकारी एवं अन्य प्रकार की भूमि की विवरणी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–177 दिनांक–11.01.2024 के आलोक में संपूर्ण राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण शिविर स्थापित कर विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस आलोक में संधारित किये जाने वाले अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र में सरकारी एवं सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के सम्बन्ध में अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से विभिन्न प्रकार की भूमि की विवरणी प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भूमि की विवरणी निम्नांकित प्रपत्र में विभिन्न कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी:–

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए अंचल कार्यालय से उपलब्ध कराये जाने वाली विवरणी

I. गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण) / गैरमजरूआ मालिक (अनाबाद बिहार सरकार) / कैसरे–ए–हिन्द की सूची

जिला का नाम:– अंचल:– राजस्व ग्राम:– थाना संख्या:–

खाता संख्या	धारण का प्रकार	खेसरा संख्या	किस्म भूमि	रकबा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

II. बन्दोबस्त भूमि की सूची

जिला का नाम:– अंचल:– राजस्व ग्राम:– थाना संख्या:–

भूमि की किस्म:–गैरमजरूआ मालिक (अनाबाद बिहार सरकार) या गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण)

क्र0	बन्दोबस्तधारी (पर्चाधारी का नाम / पिता का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	वाद संख्या / वर्ष
1	2	3	4	5	6

III. प्रश्रय प्राप्त रैयतों की सूची

जिला का नाम:– अंचल:– राजस्व ग्राम:– थाना संख्या:–

क्र0	भू–धारी का नाम / पिता का नाम एवं पता	वासगीत पर्चाधारी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	वाद संख्या / वर्ष
1	2	3	4	5	6	7

IV. भू–हदबन्दी अधिनियम अन्तर्गत अधिशेष अर्जित भूमि की वितरण की सूची

जिला का नामः– अंचलः– राजस्व ग्रामः– थाना संख्याः–

क्र0	भू–धारी का नाम/पिता का नाम एवं पता	पर्चाधारी का नाम/पिता का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	वाद संख्या/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7

V. क्रय नीति के तहत् सुयोग्य श्रेणी के लिए क्रय की गयी भूमि की सूची

जिला का नामः– अंचलः– राजस्व ग्रामः– थाना संख्याः–

क्र0	लाभार्थी का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5

VI. भूदान से वितरित भूमि की सूची

जिला का नामः– अंचलः– राजस्व ग्रामः– थाना संख्याः–

क्र0	दाता का नाम/पिता का नाम एवं पता	अदाता का नाम/पिता का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	वाद संख्या/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय से उपलब्ध कराई जाने वाली विवरणी

VII. भू–दान से वितरित भूमि की सूची

जिला का नामः– अनुमंडलः– अंचलः– राजस्व ग्रामः– थाना संख्याः–

क्र0	दाता का नाम/पिता का नाम एवं पता	अदाता का नाम/पिता का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	वाद संख्या/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध कराई जाने वाली विवरणी

VIII. अधिगृहित भूमि की सूची

जिला का नामः– अनुमंडलः– अंचलः– राजस्व ग्रामः– थाना संख्याः–

क्र0	परियोजना का नाम	एल0 ए0 वाद संख्या	मौजा का नाम	थाना संख्या	खाता संख्या	भूधारी का नाम	खेसरा संख्या	अधिग्रहित रकबा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता (भू–हदबन्दी) कार्यालय से उपलब्ध कराई जाने वाली विवरणी

IX. अपर समाहर्त्ता कार्यालय से भू–हदबन्दी अधिनियम अधिशेष अर्जित भूमि की सूची

जिला का नामः– अनुमंडलः– अंचलः– थाना संख्याः–

अधिसूचना संख्या	भूधारी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

103

उपरोक्त प्रपत्रों में प्रपत्र संख्या– **I, II, III, IV, V, VI** अंचल अधिकारी द्वारा, प्रपत्र– **VII** भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा, प्रपत्र– **VIII** जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा एवं प्रपत्र– **IX** अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अपने–अपन जिला के बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी कार्यालयों को विषयांकित विवरणी जिला बन्दोबस्त कार्यालय को प्रत्येक दशा में 31.10.2024 से पूर्व उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019–पार्ट–I 13829 पटना, दिनांक 24/09/2024

प्रतिलिपिः सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019–पार्ट–I 13829 पटना, दिनांक 24/09/2024

प्रतिलिपिः सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019–पार्ट–I 13829 पटना, दिनांक 24/09/2024

प्रतिलिपिः निदेशालय में पदस्थापित सभी प्रमंडलों के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019–पार्ट–I 13829 पटना, दिनांक 24/09/2024

प्रतिलिपिः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019–पार्ट–I 13829 पटना, दिनांक 24/09/2024

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019–पार्ट–I 13829 पटना, दिनांक 24/09/2024

प्रतिलिपिः श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :–17 सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग) – 95/2019...69.....

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 08-01-2021

विषय :– विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय को सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के बीस जिलों यथा –बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं० चंपारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा में प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निदेशालय स्तर से सरकारी भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से पत्रांक–408 दिनांक–28.02.2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि जिले में अवस्थित प्रत्येक विभाग को उनके स्वामित्व वाली भूमि की विवरणी तैयार कराकर प्राप्त कर लिया जाय एवं प्रत्येक जिला स्तरीय विभागीय कार्यालय के लिए एक नोडल पदाधिकारी प्राधिकृत कर लिया जाय। कुछ जिलों द्वारा इस संदर्भ में कार्रवाई भी की गई है।

उक्त सर्वेक्षण के क्रम में आपके विभाग द्वारा धारित/स्वामित्व की भूमि के संरक्षण हेतु संबंधित जिले के बन्दोबस्त कार्यालय को सरकारी/लोक भूमि की विवरणी भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तैयार किये गये विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में पत्रांक– 291 दिनांक– 22.02.2019 द्वारा भी आपसे अनुरोध किया गया था। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा अर्द्धसरकारी पत्र के माध्यम से भी आपसे अनुरोध किया गया है।

इस हेतु यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक जिला स्तरीय विभागीय कार्यालय के नोडल पदाधिकारी, जिला बन्दोबस्त कार्यालय एवं संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रहें ताकि आपके विभाग एवं सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके। सरकारी भूमि के संरक्षण के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक– 11089 दिनांक– 27.10.2020 द्वारा सभी जिला के समाहर्त्ता को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया है।

अनुरोध है कि अपने विभाग अंतर्गत उक्त जिलों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उपक्रमों को निदेशित किया जाय कि वे अपने अधीनस्थ भूमि की विवरणी संबंधित जिला बन्दोबस्त कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण के प्रक्रम में संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर में अपना पक्ष भी रखेंगे ताकि आपके विभाग एवं सरकार का हित अक्षुण्ण रहे।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

(131)

ज्ञापांक :- 17 सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग) - 95/2019..69..... पटना, दिनांक:-08-01-2021।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 8.1.21

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Principal Sec\12-12-2020.doc

(130

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019 11089

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 27-10-2020

विषय :– सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय/संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– निदेशालय का पत्र संख्या– 17–सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95/2019– 716 दिनांक– 06.05.2019, पत्र संख्या–17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95/2019 1315 दिनांक 05.08.2019 एवं पत्र संख्या–17– वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0)– 101/2019 408 दिनांक 28.02.2020 का कंडिका–7

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेशों का कृपया स्मरण किया जाय। इस क्रम में संसूचित किया गया है कि जिला के बन्दोबस्त कार्यालयों को अंचलाधिकारी एवं अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो द्वारा सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राजस्व विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये है।

आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ है। इस आलोक में सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

उक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि –

(1) अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि सरकारी/लोक भूमि की विवरणी विहित प्रपत्र में अविलंब तैयार कर ले। विहित प्रपत्र का प्रारूप पत्र के निम्न भाग में दिया जा रहा है।

(2) सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे उक्त प्रपत्र में तैयार सरकारी/लोक भूमि की विवरणी संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराये।

(3) अपने क्षेत्र अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से अपने क्षेत्राधिकार की सरकारी भूमि की विवरणी तैयार कर जिला बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम–3(1) एवं नियम–4(1) के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों सहित भूमि के भू–स्वामियों/हित रखने वालों को अधिसूचना एवं अधिघोषणा अंतर्गत संसूचित किया जाना आवश्यक है।

(4) सभी अंचलाधिकारियों/केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के नोडल पदाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा सभी सरकारी/लोक भूमि की विवरणी उपलब्ध करा दी गई है और इसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि/लोक भूमि उनके अधिकार क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(5) सरकारी भूमि के संरक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 247 दिनांक– 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

(6) विहित प्रपत्र निम्न प्रकार है:–

प्रपत्र

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय की भूमि की विवरणी।

जिला का नाम:–
विभागीय कार्यालय/संस्थान का नाम :–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम (जहाँ भूमि अवस्थित है)	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	भूमि पर दावा का आधार (दान/भू–अर्जन/अंतरण/अन्य)	अभ्युक्ति

नोट:– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरणी में अंकित सरकारी/लोक भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि हमारे क्षेत्रांतर्गत/विभाग अंतर्गत नहीं है।

हस्ताक्षर
अंचलाधिकारी/संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी

(7) साथ ही निदेश है कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निम्न प्रपत्र में जिन सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से भूमि की विवरणी प्राप्त हो जाये, उसके प्राप्त होने अथवा अप्राप्त होने का प्रतिवेदन निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को उनके ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे:–

सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त करने के संबंध में अनुश्रवण हेतु प्रपत्र।

जिला का नाम / विभाग/उपक्रम/बोर्ड का नाम		
	प्राप्त	अप्राप्त

(8) जिला पदाधिकारी जिले में पदस्थापित केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों के पदाधिकारियों में से प्रत्येक विभाग हेतु अलग–अलग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में घोषित करेंगे, जो जिला बन्दोबस्त कार्यालय/संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रह कर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019..11089 पटना, दिनांक :–27-10-2020

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त (सारण प्रमंडल को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019..11089 पटना, दिनांक :–27-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019 11089 पटना, दिनांक :– 27-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग – 95/2019...1315

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
सीतामढ़ी, बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा,
अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुगेंर, सुपौल,
किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय एवं पश्चिमी चंपारण।

पटना, दिनांक :–05-08-19

प्रसंग :– 17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग – 95/2019 – 716 दिनांक– 08.05.2019

विषय :– सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, को विशेष सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण कार्य उपर्युक्त जिले में से नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, किशनगंज, लखीसराय एवं बेगुसराय में प्रारंभ है। शेष जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य माह अक्टूबर – नवंबर, 2019 से प्रस्तावित है।

उक्त सर्वेक्षण बंदोबस्ती के क्रम में सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

राजस्व विभागीय विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि – (1) सरकारी/लोक भूमि यथा गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण), गैरमजरूआ मालिक/खास (अनाबाद बिहार सरकार) खासमहल, भू–दान में अर्जित भूमि, भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि, कैसरेहिन्द, विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भूमि, बोर्ड, निगमों एवं उपक्रमों की भूमि, पंचायती राज एवं नगर निकायों की भूमि, नहर, पाईन, वन एवं सैरात की भूमि सहित अन्य सभी सरकारी भूमि की सूची अबिलम्ब तैयार कर ली जाय।

(2) अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि उनके अंचल अंतर्गत प्रारंभ होने वाले विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंचलाधिकारियों के स्तर से प्राप्त कर ली जाय कि सभी सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दी गई है तथा उसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि उनके क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(108)

(3) इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि अपने क्षेत्र अतंर्गत सभी सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा बोर्डो – निगमों के पदाधिकारियों को आपके स्तर से निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से भी भूमि की सूची विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करेंगे ताकि सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 1/8

प्रधान सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(18)
107

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग – 95 / 2019 716

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
सीतामढ़ी, बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा,
अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, सुपौल,
किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय एवं पश्चिमी चंपारण।

पटना, दिनांक :– 08-05-2019

विषय :– सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, को विशेष सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण कार्य उपर्युक्त जिले में से नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, किशनगंज, लखीसराय एवं बेगुसराय में प्रारंभ है। शेष जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य माह अक्टूबर – नवंबर, 2019 से प्रस्तावित है।

उक्त सर्वेक्षण बंदोबस्ती के क्रम में सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

राजस्व विभागीय विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि – (1) सरकारी / लोक भूमि यथा गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण), गैरमजरूआ मालिक / खास (अनाबाद बिहार सरकार) खासमहल, भू–दान में अर्जित भूमि, भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि, कैसरेहिन्द, विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भूमि, बोर्ड, निगमों एवं उपक्रमों की भूमि, पंचायती राज एवं नगर निकायों की भूमि, नहर, पाईन, वन एवं सैरात की भूमि सहित अन्य सभी सरकारी भूमि की सूची अबिलम्ब तैयार कर ली जाय।

(2) अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि उनके अंचल अंतर्गत प्रारंभ होने वाले विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही, सरकारी / लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंचलाधिकारियों के स्तर से प्राप्त कर ली जाय कि सभी सरकारी / लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दी गई है तथा उसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि उनके क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

(3) इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि अपने क्षेत्र अतंर्गत सभी सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा बोर्डो – निगमों के पदाधिकारियों को आपके स्तर से निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से भी भूमि की सूची विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करेंगे ताकि सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

प्रधान सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Scanned with OKEN Scanner